संख्या-1/2018/बी-3-441/दस-2018-100(4)/2002-ब0मै0-टी0सी0-2

प्रेषक,

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव वित्त एवं
वित्त आयुक्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 लखनऊ :: दिनांक 04 अक्टूबर, 2018

विषय :- व्यय की मानक मदों की ग्रुपिंग।

महोदय,

व्यय की मानक मदों की ग्रुपिंग सम्बन्धी शासनादेश संख्या-बी-3-1497/दस-2010-100(4)/2002-ब0मै0-टी0सी0-II, दिनांक 21.06.2010 को संशोधित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बजट प्रावधान और व्यय की आवश्यकताओं में मिसमैच सम्बन्धी समस्या के त्वरित निराकरण के लिए कतिपय मानक मदों में ग्रुपिंग किये जाने की व्यवस्था को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

ग्रुप-1
01- वेतन
03- मंहगाई भत्ता
06- अन्य भत्ते

ग्रुप-2
04- यात्रा व्यय
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय
45- अवकाश यात्रा व्यय

ग्रुप-3
08- कार्यालय व्यय
11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई
42- अन्य व्यय
51- वर्दी व्यय

ग्रुप-4
09- विद्युत व्यय
10- जलकर/जल प्रभार
17- किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व

2- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संशोधित ग्रुपिंग होने के फलस्वरूप आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार में बिल प्रस्तुत करने पर यदि किसी ग्रुप के अन्तर्गत मानक मदों के योग के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी के स्तर पर बजट उपलब्ध है और दावा सही है तो ऐसे बिलों का कोषागार द्वारा भुगतान सुनिश्चित किया जाए, भले ही उस ग्रुप के अन्तर्गत किसी मानक मद में ऋणात्मक अवशेष प्रदर्शित हो रहा हो। किसी ग्रुप के अन्तर्गत मानक मदों को अलग-अलग करके बजट की उपलब्धता न देखी जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव वित्त एवं
वित्त आयुक्त।

संख्या-1/2018/बी-3-441(1)/दस-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार , (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।
4- प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8- आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव, वित्त।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।